



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(30) परावि/प्रशा.1/आर.आर.डी.एस-08/संस्था/2011/ 484 जयपुर दिनांक:- 21/3/16

—:आदेश:—

श्री पारसमल सोनी, RRDS, विकास अधिकारी पंचायत समिति शेरगढ जिला जोधपुर का चयन राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2012 के अन्तर्गत गृह विभाग के आदेश क्रमांक प.5(21)गृह-1/2016 दिनांक 17.11.2015 से राजस्थान पुलिस सेवा में किया गया है। श्री सोनी द्वारा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में पदाधिकार सुरक्षित रखते हुये राजस्थान पुलिस सेवा हेतु कार्यमुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः श्री सोनी को राजस्थान पुलिस सेवा मे चयन उपरान्त राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत नियम 15 के तहत पदाधिकार (Lien) राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में सुरक्षित रखते हुए राजस्थान पुलिस सेवा में स्थायीकरण होने की सूचना विभाग को प्रस्तुत करने की शर्त के साथ राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

(गिरीश पारसशर)

शासन उप सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, पुलिस, गृह (ग्रुप-1) विभाग को उनके आदेश क्रमांक प. 5(21)गृह-1/2016 दिनांक 17.11.2015 के क्रम में सूचना प्रेषित है।
7. संभागीय आयुक्त जोधपुर।
8. जिला कलेक्टर जोधपुर।
9. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति शेरगढ जिला जोधपुर।
11. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
12. प्रोगामर मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
13. संबंधित अधिकारी।
14. आदेश पत्रावली।

(गिरीश पारसशर)

शासन उप सचिव (प्रशा-1)